विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2025 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल ,मा0 सदस्य, द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर-

प्रश्न	उत्तर
4(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्री बतायेंगे कि आगरा से लखनऊ, आगरा एक्सप्रेस वे के किनारे जनहित में निर्मित कराये गये राइड पटरी रोड का निर्माण स्थानीय जनता के उपयोग के लिए कराया गया है, जिसको जनता द्वारा आवागमन तथा गाँव आदि से उक्त मार्ग पर आने जाने हेतु उपयोग में लाया जाता है?	जी हॉ। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के दोनों ओर स्टैगर्ड रूप में सर्विस रोड का निर्माण किया गया है, जिसका उपयोग स्थानीय जनता द्वारा आवागमन के लिए किया जाता है।
(ख) यदि हॉ, तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अन्तर्गत 103 किलो मीटर निकले किसान पथ/आउटर रिंग रोड जिसके दोनों तरफ सर्विस लेन का निर्माण कराया गया है उक्त सर्विस लेन के किनारे कटीले तारों की बैरिकेंटिंग लगाकर किसानों/आम जनता को उनके खेत / घरों में जाने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है?	1. राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीधे आवागमन करने हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी नवीन गाइडलाइन संख्या RW-NH-33032/01/2017-S&R(R) dated 26.06.2020 तथा संशोधित गाइडलाइन संख्या RW-NH-dated 33032/01/2017-S&R(R) 21.08.2023 के अनुसार दी जाती है। 2. लखनऊ आउटर रिंग रोड में सर्विस रोड कुल 105.465 किमी है, जिसमें से 93.965 किमी का निर्माण किया जा चुका है। सर्विस रोड से जुड़ने वाली सभी सड़कों एवं अधिकृत ट्रैकों की सर्विस रोड तक उचित पहुंच है।

(ग) यदि हॉ, तो क्या सरकार आगरा एक्सप्रेस वे व शहीद पथ की भाँति जनहित में किसानों के उपयोग हेतु निर्मित करायी गयी सर्विस लेन के किनारे लगाये गये कटीले तारों को उनके घरों/खेत के सामने से हटवायेंगे?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि हॉ, तो जनहित में कब तक गाँवों के किसानों की कठिनाइयों को देखते हुए घरों के सामने से व खेत को जाने हेतु तार हटाकर हजारों किसानों की समस्या का निराकरण करायेगें?	उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
JASWANT SINGH SAINI
Date: 07-08-2025
13:44:30

(जसवंत सिंह सैनी)
राज्य मंत्री
औद्योगिक विकास विभाग।